



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220042
CG-DL-E-20062020-220042

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1750]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942

No. 1750]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISHTHA 29, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

का.आ. 1966(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 7 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4525(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा तारीख 20 दिसंबर, 2019 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की एक और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगी प्रास्थिति के विस्तार की अपेक्षा की जाती है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को तारीख 20 जून, 2020 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं.एस.-11017/07/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2020

S.O. 1966(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the iron and steel industry, which is covered under item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purpose of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4525 (E), dated 18th December, 2019 for a period of six months with effect from the 20th December, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the iron and steel industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 20th June, 2020.

[F. No. S-11017/ 07 /2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.